परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण

2099. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्या कारण हैं जिन से सरकार ने परेल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध का अधिग्रहण किया था और उस समय ये कम्पनियां लाभ में चल रहीं थीं अथवा घाटे में; और

(ख) इन कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण किये जाने के समय उन्हें कितना मुआवजा दिया गया और वर्तमान में इन कंपनियों की क्या स्थिति है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इन दो कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण जनहित में किया गया था । सरकार की इस नीति के अनुसार की तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के बाटलिंग, परिवहन, विपणन तथा वितरण के संसाधनों के स्वामित्व तथा संचालन को भी उत्तरोत्तर राज्य में निहित किया जाए तथा इस के द्वारा उन्हें इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह आम लाभ के लिए उपभोगी हो । कम्पनी द्वारा दिये गये लेखों की संवीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने की थी । जिस तिथि को इन के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया गया था इन कम्पनियों की शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) नकारात्मक थी ।

(ख) प्रत्येक उस माह के लिए जिस में कि इन का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित रहा परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को 750 रुपये तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड को 250 रुपये की धनराशि दी जानी थी। चूंकि इन कम्पनियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकद्दमा किये जाने के कारण मामला न्यायाधीन है इस कारण उन्हें अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

कौसन गैस कम्पनी का अधिग्रहण

2100. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा कौसन गैस कम्पनी का 26 मई, 1979 को अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस समय कम्पनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और क्या कम्पनी उस समय लाभ अर्जित कर रही थी या हानि उठा रही थी और हजनि (मुआवजे) के रूप में सरकार को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिग्रहण किये जाने के समय, कौसन गैस कम्पनी में 242 कर्मचारी काम कर रहे थे । भूत-पूर्व कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण-पत्रों के अनुसार, कम्पनी के अधिग्रहण किये जाने से पूर्व, कम्पनी घाटे में चल रही थी । इस कम्पनी के अधिग्रहण करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस कम्पनी को 10,000 रुपये की राशि दी जानी थी ।

मथुरा में एक औद्योगिक एकक की स्थापना करनी

2101. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री मथुरा औद्योगिक